

**कार्यालय**

**उच्च. प्राविधिक शिक्षा परिषद.**

**उत्तर प्रदेश सरकार**

संख्या:- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

संख्यक:- दिनांक:- 09/08/2021

**कार्यालय न्याय:-**

उच्च. प्राविधिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/एनसीटी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च संख्यक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उच्च संख्यक द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2066-VIMLA VIKRAM DEGREE MAHAVIDYALAYA COLLEGE VILL & POST-PANCHPERWA TEHSIL-TULSIPUR, BALRAMPUR-271201

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/ पी0सी0आइ0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आइ0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1992, सेमेस्टर विनियमनकारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के

अतिरिक्त) हेतु 20-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रांशका से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समया-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रकाशी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सन 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3090 प्राथमिक शिक्षा समितियां तथा 39 समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समक-समक पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0डी0ई0/सी0सी0आई0 से आगामी सन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा, 3090, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3090 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3090 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन नार्मली पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नोट दायर किया जाता है तथा दायर बाढ़ के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन नार्मली पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैमिंग रोमों के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, पानीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।

- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, एकीकरण, उपकरण एवं अन्य सामान-सज्जा एचआइएडीपीसीपीटीपीईए/पीएसीएआईए/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता रद्दी का अनुपालन न किये जाने अथवा धर्ती का उत्सर्जन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पुंसां०- शक्तिपरिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिष्ठान:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VIMLA VIKRAM DEGREE MAHAVIDYALAYA COLLEGE VILL & POST-  
PANCHPERWA TEHSIL-TULSI PUR, BALRAMPUR-271201



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,**

**राज्य, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2022/10733

तखनक- दिनांक: 15/12/2022

**सम्बद्धता हेतु**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/यू.ए.सी. कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2022-23 हेतु (दिल्ली) सर्रीम तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संचालित हुई। बैठका में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2066-VIMLA VIKRAM DEGREE MAHAVIDYALAYA COLLEGE

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईटी/पीसीआई द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एचआईटी/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों की अवधि हेतु रु. 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के प्रारंभिक पाठ्यक्रम हेतु रु. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के प्रारंभिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु. 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क (प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का पालन होगा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासकदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/निर्णय/अधिनियमों/शासकदेशों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, आ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और निश्चित रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम उठाया जाता है तथा हायर एंड के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत पर/बीजे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, भ्याम्, सार्व-सफा, उपकरण, प्राण किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-चतन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, चतन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सात-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निष्पत्तानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद सम्बद्धता/2022/10734-10769

दिनांक: 15/12/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VIMLA VIKRAM DEGREE MAHAVIDYALAYA COLLEGE

  
(एफ०आर० खान)

सचिव

**कार्यालय,**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

संज्ञक: दिनांक: 12-09-2023

**कार्यालय ज्ञाप:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं कार्मिकी कारात्मिक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक ने सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कारात्मिक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में किन्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2066-VIMLA VIKRAM DEGREE MAHAVIDYALAYA COLLEGE

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईओसीआईओ/ ए०सीओआईओ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें:**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 संदर्भित-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थाओं की ओर से विद्युत संचालित न्यायालय में प्रोविडेंट रिट प्राविधिक संस्था 3027/2023 में वार्षिक आकलन के अग्रिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कारात्मिक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा नियमित ग्रीष्म एवं वर्षा सत्रों का पूर्णतः प्रदान करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी कारात्मिक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से अनुक्रम संस्था में संस्त संसाधन (शुल्क भरण, लेब उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एंक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 विनियमवली-2008, सैनेट्टर विनियमवली-2016 तथा समान-समय पर निर्णित शरतसंदर्भों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विनियम समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्राथमिक प्राथमिकता से प्राप्त किया जाएगा। उम्मेदवारों के अतिरिक्त प्राथमिकताओं से शुल्क के सम्बन्ध में समान-समय पर शासन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शरतसंदर्भों (अर्थात् इतरे) और अनुसूचित जाति/जाति शिक्षा उपाय आकलन होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की सूची/संख्या टर्न जलु होगी।
- ✓ संस्था में सत्र 2023-24 प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित जाती गी ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समान-समय पर निर्णित शरतसंदर्भों के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधि/विधियाँ/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं विदेशी, प्राविधिक शिक्षा, जॉब्स, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, अग्रेज तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, जॉब्स द्वारा कथित गण विधियों, विधियों, जॉब्स, निर्देशों का पालन करने के लिये सम्बन्धी है।
- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यीय कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली में अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इसे संस्थान में समस्त उपरदायित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था का उपरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उद्योगिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के लिखित यदि कोई कदम कथित किया जाता है तथा उपर वाद के संबंध में ग. आचारण द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थानों को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा कार्यवाही के लिए आह्वानित प्रवेश परीक्षा हेतु आह्वानित प्रवेश होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यीय कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा संस्था उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु संस्था-संस्था पर निर्गत अधिनियम आदेशों के लिए आह्वानित प्रवेश परीक्षा हेतु आह्वानित प्रवेश होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/राज्यीय कार्यालय और इतिहास, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा संस्था उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त आचारण उपलब्ध करने के साथ वैशेष करने के सम्बन्ध में संस्था उपलब्ध उपलब्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित है कि संस्था में प्रस्तावित/समाप्तित आचारण को लागू करने हेतु शिक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने एवं अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य आचारण के संयोजन में प्रयोग किया जाता है और अधिनियम को सुनिश्चित करवायी जाती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने उसे की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (अधिनियम और अधिनियमों, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाता) अधिनियमों, 2000 के अधिनियमों/परिषद की योग्यता अपने अधिनियमों, अधिनियम और अधिनियमों को परिषद की परीक्षा के आचारण के लिए परिषद के अधिनियम में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिक तकनीकी निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में सुविधा, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार-संसाधन एड-आउट/सोर्ट/आउट/सोर्ट/आउट/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने तथा गणों का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में लिखित/मुद्रित अनुपालन/संस्था कार्यवाही की जायेगी।



(अंशु कुमार मिश्र)

सचिव

पृष्ठ सं- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, VIMLA VIKRAM DEGREE MAHAVIDYALAYA COLLEGE



(अंशु कुमार मिश्र)

सचिव